

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
संकल्प
शुद्धि-पत्र

सचिका सं० :-05/स्था०(मुकदमा)-11/2014 ...

पटना-15, दिनांक :-

विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4907, दिनांक-31.07.2018 के कण्डिका-11 में अंकित अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के स्थान पर संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार पटना पढा जाय।

2. संकल्प की शेष कंडिका यथावत रहेगी।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि पत्र के प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(शिव बचन सिंह)

सरकार के अवर सचिव,

घित/स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक :-05/स्था०(मुकदमा)-11/2014 ... 5176

पटना-15, दिनांक :- 8/8/18

प्रतिलिपि :-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ उप सचिव-सह- उपस्थापन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/श्री नरेश पासवान, जिला परिवहन पदाधिकारी (सेवानिवृत्त), मोहल्ला-चितकोहरा बरती, पो०-अनीसाबाद, थाना-गर्दनीबाग, जिला-पटना, पिन कोड-800002/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०-12787, दिनांक-28.08.2015 के आलोक में श्री पासवान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न कर निर्धारित अवधि में जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अवर सचिव, 7.8.18